(राजस्थान सरकार)

न्यायालय जिला कलक्टर, कोटपूतली–बहरोड (राज0)

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती प्रियंका गोस्वामी (आई.ए.एस.)
प्रकरण संख्या : 67/2025 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)
तारीख रजू : 08.08.2025 निर्णय दिनांक : 23.09.2025

1. पूरा देवी पत्नी श्री रामजीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम पूतली तहसील कोटपूतली जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान। – प्रार्थीया

बनाम

1. सहायक कलक्टर कोटपूतली जिला कोटपूतली–बहरोड़,
2. गोपीराम उर्फ गोपीचन्द पुत्र श्री नरसाराम,
3. मालाराम पुत्र श्री नरसाराम,
4. सुरेशचन्द पुत्र श्री नरसाराम,
समस्त जातियान गुर्जर निवासीयान ग्राम पूतली, तहसील कोटपूतली, जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान।
5. तहसीलदार काटपूतली, जिला कोटपूतली–बहरोड़।

– अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत
उपस्थित अधिवक्तागण :–

1. वकील प्रार्थी श्री सुधीर कुमार शर्मा उपस्थित ।

निर्णय

दिनांक–23.09.2025

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि सहायक कलक्टर कोटपूतली के समक्ष प्रकरण बउनवानी गोपीराम बनाम पूरा देवी मय स्थगन प्रार्थना पत्र विचाराधीन है। जिसमें प्रार्थी ने अपनी व्यक्तिगत विषम परिस्थितियां जाहिर करते हुए एवं पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। सहायक कलक्टर कोटपूतली से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई।
3. अप्रार्थीगण की तलबी द्वारा रजिस्टर्ड नोटिस करवाई गई किन्तु दौराने बहस अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे, इसलिए केवल वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई।
4. वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थी सख्या 02 लगायत 04 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर कोटपूतली के समक्ष वाद बाबत तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बअनुवानी गोपीराम बनाम पूरा देवी वगैरा प्रकरण सख्या 75/2025 एवं उक्त वाद के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र बअनुवानी गोपीराम बनाम पूरा देवी वगैरा प्रकरण संख्या 32/2025 इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी हाल खसरा नम्बर 126/0.12 वाके मोजा पूतली तहसील कोटपूतली में स्थित है तथा उपरोक्त आराजी के वादीगण प्रत्येक हिस्सा 1/12–1/12–1/12 के बहैसियत रिकार्डड खातेदार काश्तकार काबिज है तथा शेष हिस्से 3/4 के प्रतिवादीया खातेदार काश्तकार काबिज है तथा इसी प्रकार मुताबिक जमाबन्दी हिस्सेनुसार वादीगण एव प्रतिवादीया भूमि को काश्त करते चले आ रहे है तथा उपरोक्त आराजी मुतदाविया का राजस्व रिकार्ड भी शामिल में है तथा लगान भी अदा शामिल में हो रहा है राजस्व रिकार्ड शामिल में होने से प्रत्येक इंच पर प्रत्येक खातेदार का कब्जा होता है जब तक तकास्मा नही होता तथा बिना तकास्मा किसी भी खातेदारान को भूमि को बेचान करने का, रहन करने का, भूमि की किस्म में परिर्वतन करने का, भूमि के उपर लोन लेने का, भूमि पर निर्माण कार्य करने का, भूमि के विशेष भू भाग को बेचान करने का, भूमि की किस्म में कोई परिवर्तन करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है तथा बादीगण एवं प्रतिवादीया – अब तक सम्मिलित रूप से शातिपूर्वक काश्त करते चले आ रहे थे लेकिन प्रतिवादीया खाते में स्ट्रेन्जर परचेजन व्यक्ति है' उसे बिना बंटवारा कराये किसी भूमि को बेचान करने, कब्जा करने व काश्त करने का कोई अधिकार नही है परन्तु अब प्रतिवादीया वादी से मनमुटाव रखने लग गयी है तथा अब उपरोक्त आराजी को बिना तकास्मा भूमि को रहन बेचान करने तथा वादीगण को अपने हिस्से में काश्त करने में मजाहमत करने, निर्माण करने, खड्डे वगैरा खोदने, पेड़ वगैरा काटने, डाल वगैरा तोडने व भूमि को खुर्द बुर्द करने व नष्ट करने पर आमादा रहती है, मना करने पर नहीं मानती है इसलिये मान्य न्यायालय में वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने बिना प्रार्थीया को सुचित किये व बिना सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये दिनाक 04.06.2025 को एकतरफा स्थगन

(न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट * कोटपूतली–बहरोड़)

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

आदेश पारित कर प्रार्थीया के हिस्से की भूमि बाबत विधि विरुद्ध जाकर स्थगन आदेश पारित किया जिसकी सूचना भी अधीनस्थ न्यायालय अथवा अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया को आज दिवस तक नही भेजी गयी अपितु प्रार्थीया द्वारा मौके पर अपने हिस्से में लगी चारदीवारी की भूमि की सुरक्षा के लिये चारदीवारी में गेट लगाने व चारदीवारी की उचाई करने हेतु निर्माण कार्य शुरू किये जाने पर अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 04 के द्वारा मौके पर आकर प्रार्थीया को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश की जानकारी दी। प्रार्थीया अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मय अधिवक्ता उपस्थित आकर अपना जवाब प्रस्तुत कर प्रकरण में स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस किये जाने हेतु निवेदन किया एवं साथ ही मौके की वस्तुस्थिति मंगवाये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया परन्तु अधीनस्थ न्यायालय के वर्तमान पीठासीन अधिकारी ने अप्रार्थी सख्या 02 लगायत 04 के प्रभाव में आकर प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 4 सीपीसी को आज दिनांक 08.08.2025 को खारीज कर दिया। अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 04 न्यायालय परिसर में ऐलानिया कह रहे है कि उन्होने अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से बात कर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारीज करवा दिया एवं अब उपरोक्त पत्रावली में प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र को स्वीकार करवा प्रार्थीया को मौके से बेदखल करेगे। अप्रार्थीगण राजनैतिक पहुंच वाले व्यक्ति है तथा संख्या में अधिक है इस कारण अप्रार्थीगण अपनी राजनैतिक पहुंच का नाजायज फायदा उठाते हुये प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 04 सीपीसी दिनाक 08.08. 2025 को खारीज करवा मौके से प्रार्थीया को बेदखल करने एव मौके पर सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा करने पर उतारू हो रहे है। प्रार्थीया को अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से निष्पक्ष न्याय की उम्मीद कतई नहीं है।

अन्त में वकील प्रार्थीया निवेदन किया कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन वाद बअनुवानी गोपीराम बनाम पूरा देवी वगैरा प्रकरण सख्या 75/2025 मय स्थगन प्रार्थना पत्र को न्यायालय सहायक कलेक्टर कोटपूतली से अन्यत्र राजस्व न्यायालय के समक्ष स्थानान्तरण किये जाने के आदेश फरमाये जाने कि कृपा करे।

5. वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का भलीभांति अवलोकन करने पर पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय में विचारधीन प्रकरण में प्रार्थीया के विरूद्ध एक पक्षीय स्थगन आदेश जारी है। प्रकरण में प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 4 सीपीसी पेश किया, जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है। न्यायालय हाजा में विचाराधीन प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण की विधिवत् तामिल हो चुकी है, लेकिन अप्रार्थीगण को प्रर्याप्त अवसर दिये जाने उपरान्त भी पैरवी हेतु उपस्थित नहीं आये। जिससे यह प्रतित होता है कि अप्रार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय में प्राप्त एक पक्षीय स्थगन आदेश को अनावश्यक विलम्ब करवाना चाहता है, जो न्यायोचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा उक्त बअनुवानी गोपीराम बनाम पूरा देवी वगैरा प्रकरण सख्या 75/2025 मय स्थगन प्रार्थना पत्र को न्यायालय सहायक कलक्टर कोटपूतली से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर को स्थानांतरण किये जाने के आदेश दिये जाते है। न्यायालय सहायक कलक्टर कोटपूतली को निर्देश दिये जाते है कि वह उक्त उनवानी प्रकरण को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर को शीघ्र मूल पत्रावली प्रेषित करें। उपखण्ड अधिकारी बानूसर को निर्देश दिये जाते है कि वह उक्त उनवानी प्रकरण का नियमानुसार शीघ्र निस्तारण करें। उभयपक्ष न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानूसर के समक्ष दिनांक 17.10.2025 को उपस्थित होवें। निर्णय प्रति सहायक कलक्टर कोटपूतली/उपखण्ड अधिकारी बानूसर को भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 23.09.2025 को सरे इजलास सुनाया गया ।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली-बहरोड़

(प्रियंका गोस्वामी)
I.A.S.
जिला कलक्टर
कोटपूतली-बहरोड़

जिला कलक्टर
कोटपूतली-बहरोड़